रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 7, 2009/पौष 17, 1930
No. 48] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 7, 2009/PAUSA 17, 1930

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2009

(आय-कर)

का.आ. 97(अ).— जबकि, आय और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा सर्बिया और मोन्टेनीग्रो के मंत्री परिषद् के बीच अनुबद्ध अभिसमय पर 8 फरवरी, 2006 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे;

और, जबकि, सर्बिया और मोन्टेनीग्रो राज्य संघ को मोन्टेनीग्रो की 3 जून, 2006 को स्वतन्त्रता की औपचारिक घोषणा किए जाने और सर्बिया की 5 जून, 2006 को स्वतन्त्रता की औपचारिक घोषणा किए जाने के पश्चात् दो स्वतन्त्र राज्यों में विघटित किया गया था;

और, जबकि, सर्बिया गणराज्य की नेशनल एसेम्बली ने उक्त अभिसमय को अनुसमर्थित किया है जैसा कि सर्बिया गणराज्य के सरकारी राजपत्र-अंतर्राष्ट्रीय संधि सं. 102/07 दिनांक 7 नवम्बर, 2007 में प्रकाशित है और तद्नुसार, उक्त अभिसमय में सर्बिया और मोन्टेनीग्रो के संदर्भ को सर्बिया के संदर्भ के रूप में पढ़ा जाएगा;

और, जबकि, उपर्युक्त अभिसमय को लागू करने की तारीख 23 सितम्बर, 2008 है जो कि उपर्युक्त अभिसमय के अनुच्छेद 30 के पैराग्राफ 2 के अनुसार इस अभिसमय को लागू करने के लिए संबंधित कानूनों द्वारा यथाअपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद की अधिसूचनाओं की तारीख है;

और, जबकि, उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 30 के पैराग्राफ 2 का उप-पैराग्राफ (2) यह व्यवस्था करता है कि अभिसमय के उपबंध प्राप्त की गई आय पर करों और स्वामित्व पूंजी पर करों के संबंध में उस आगामी वर्ष जिसमें अभिसमय लागू होता है, के अगले कैलेण्डर वर्ष में अप्रैल माह की पहली तारीख को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत में लागू होंगे;

अब, इसलिए, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 और धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा-44 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, निर्देश देती है कि उक्त अभिसमय के सभी उपबंध भारत संघ में लागू होंगे।

अनुबंध

आय तथा पूंजी पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार के लिए भारत गणराज्य की सरकार और सर्बिया और मोन्टेनीग्रो की मंत्रिमंडलीय परिषद् के बीच अभिसमय

भारत गणराज्य की सरकार और सर्बिया और मोन्टेनीग्रो की मंत्रिमंडलीय परिषद् आय तथा पूंजी पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार तथा दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के संवर्द्धन की दृष्टि से एक अभिसमय निष्पन्न करने की इच्छा से, निम्नानुसार सहमत हुई है :

अनुच्छेद - 1

वैयक्तिक क्षेत्र

यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा, जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं ।

अनुच्छेद - 2

सम्मिलित कर

1. यह अभिसमय किसी संविदाकारी राज्य अथवा इसके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से आय तथा पूंजी पर लगाए गए करों पर लागू होगा, चाहे ये कर किसी भी प्रकार से लगाए जाएं ।

2. सकल आय, कुल पूंजी अथवा आय अथवा पूंजी के तत्वों पर सभी करों को आय और पूंजी पर लगने वाले करों को आय और पूंजी पर लगने वाले करों के रूप में माना जाएगा जिनमें चल और अचल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर कर, उद्यमों द्वारा अदा किए गए वेतनों और मजदूरियों की सकल रकम पर कर के साथ-साथ पूंजी में हुई वृद्धि पर कर भी शामिल है ।

3. जिन वर्तमान करों पर यह अभिसमय लागू होगा वे विशेषकर इस प्रकार हैं :

सर्बिया और मोन्टेनीग्रो में :

(1) लाभ कर,
(2) आय कर,
(3) पूंजी पर कर,
(4) अन्तरराष्ट्रीय परिवहन से राजस्व पर कर,

(जिसे "सर्बियन और मोन्टेनीग्रो कर" कहा जाएगा);

भारत में,

(1) आयकर, जिसमें उस पर लगने वाला कोई अधिभार भी शामिल है, और
(2) धनकर,
(जिसे इसके बाद "भारतीय कर" कहा जाएगा);

4. यह अभिसमय किसी भी समरूप अथवा तत्वतः समान करों पर भी लागू होगा, जो इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् विद्यमान करों के अलावा अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी क्रमशः अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे एक-दूसरे को अभिसूचित करेंगे।

अनुच्छेद - 3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस अभिसमय के प्रयोजनों के लिए :

1) "एक संविदाकारी राज्य" तथा "दूसरा संविदाकरी राज्य" पद का अर्थ, संदर्भ की अपेक्षानुसार सर्बिया और मोन्टेनीग्रो अथवा भारत से है ;

2) "सर्बिया और मोन्टेनीग्रो" पद का अर्थ राज्य समुदाय सर्बिया और मोन्टेनीग्रो से है और जब इस का प्रयोग भौगोलिक रूप में किया जाए तो इसका अर्थ सर्बिया और मोन्टेनीग्रो के भू-क्षेत्र, इसके आन्तरिक समुद्र जल और अन्तरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र तथा इसमें उसके ऊपर के वायुमंडलीय क्षेत्र के साथ-साथ समुद्र क्षेत्र और महाद्वीप क्षेत्र के भाग की अवमृदा भी शामिल है जो क्षेत्रीय समुद्र सीमा से बाहर हो जिसपर मोन्टेनीग्रो अपने अन्तरदेशीय एवं अन्तरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार अपने प्राकृतिक संसाधनों का अनुसंधान एवं उपयोग करने के लिए अपने प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकारों का प्रयोग करता हो।

3) 'भारत' पद से अभिप्रेत है - भारत का राज्यक्षेत्र, और इसमें राज्यक्षेत्रीय समुद्र और उसके ऊपर आकाशीय क्षेत्र के साथ-साथ अन्य समुद्री क्षेत्र भी शामिल हैं जिनमें समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय सहित भारतीय कानून तथा अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हैं ;

4) समुदाय सर्बिया और मोन्टेनीग्रो राज्य में "राजनयिक उप-प्रभाग" पद का अर्थ सदस्य राष्ट्र से है ;

5) "राष्ट्रीय" पद का अर्थ है :

- एक संविदाकारी राज्य की राष्ट्रिकता धारण करने वाला कोई व्यक्ति ;
- कोई विधिक व्यक्ति, भागीदारिता अथवा संगठन जिसे इस की यह हैसियत एक संविदाकारी राज्य में लागू कानूनों से प्राप्त होती हो।

6) "व्यक्ति" पद में कोई व्यष्टि, कोई कम्पनी, व्यक्तियों का कोई संगठन शामिल है, भारत के मामले में कोई ऐसी सत्ता जिसे उस देश में लागू कराधान कानूनों के तहत एक कराधेय इकाई माना जाता हो ;

7) "कम्पनी" पद से कोई निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय के रूप में समझा जाता है ;

8) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" पदों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है ;

9) "अन्तरराष्ट्रीय यातायात" पद से अभिप्रेत है - किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित हो सिवाए उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो ;

10) "वित्तीय वर्ष " पद का अर्थ है :-

- सर्बिया और मोन्टेनीग्रो के मामले में, जनवरी माह के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाला वर्ष ।
- भारत के मामले में, अप्रैल माह के प्रथम दिन को प्रारम्भ होने वाला वर्ष ।

11) "सक्षम प्राधिकारी" पद का अर्थ है :-

- सर्बिया और मोन्टेनीग्रो के मामले में, अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों हेतु मंत्रालय अथवा इसका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;
- भारत के मामले में, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभग) में केन्द्रीय सरकार अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;

2. किसी संविदाकारी राज्य द्वारा जहां तक किसी भी समय इस अभिसमय को लागू किए जाने का प्रश्न है, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसमें अपरिभाषित किसी शब्द का वही अर्थ होगा जो उस राज्य के उन करों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत होता है जिन पर यह अभिसमय लागू होता है और यह अर्थ उस राज्य के किन्हीं अन्य कानूनों के अंतर्गत लगाए गए अर्थ पर प्रभावी होगा जो उस राज्य के कर कानूनों के अंतर्गत लगाए जाते हैं ।

अनुच्छेद -4

निवासी

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" पद का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसपर उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबन्ध - स्थान अथवा किसी ऐसी ही कसौटी के कारण कर लगाया जा सकता है और इसमें, वह राज्य और इसका कोई राजनयिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है । परन्तु इस पद में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं होगा जिसपर केवल उस राज्य के स्रोतों अथवा वहां स्थित पूंजी पर होने वाली आय पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है ;

2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों ही संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी :

1) उसे केवल उसी राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों ही राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, तो वह उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) ;

2) यदि उस राज्य का जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसको दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो ;

3) यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह एक राष्ट्रिक है ;

4) यदि वह दोनों ही राज्यों का राष्ट्रिक हो अथवा उनमें से किसी राज्य का भी राष्ट्रिक है तब संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे ।

3. जहां पैरागाफ 1 के उपबंधों के कारण किसी व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों ही संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तब उसे केवल उसी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका प्रभावी प्रबंध - स्थान स्थित है । यदि उस राज्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता हो जिसमें उसका प्रभावी प्रबंध - स्थान स्थित है तो संबंधित राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से इस प्रश्न का समाधान करेंगे ।

अनुच्छेद -5

स्थायी संस्थापन

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ "स्थायी संस्थापन" पद का आशय कारोबार के उस निश्चित स्थान से अभिप्रेत है, जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है ।

2. "स्थायी संस्थापन" पद मे विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :

(1) प्रबंध का कोई स्थान ;

(2) कोई शाखा ;

(3) कोई कार्यालय ;

(4) कोई कारखाना ;

(5.) कोई कार्यशाला ;

(6) कोई खान, तेल अथवा गैस का कुआँ, कोई खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ;

(7) कोई बिक्री केन्द्र ;

(8) किसी व्यक्ति से संबंधित कोई भाण्डागार जो दूसरों के लिए भण्डारण सुविधाएं मुहैया कराता हो ; और

(9) कोई फार्म, बागवानी अथवा अन्य स्थान जहां कृषि, वानिकी, बागवानी अथवा इससे संबंधित कार्यकलाप किए जाते हों ।

3. कोई भवन-स्थल अथवा निर्माण, प्रस्थापन अथवा संयोजन परियोजना अथवा उससे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप तभी तक स्थायी संस्थापन बनेगा यदि ऐसा भवन स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप 12 महीने से अधिक समय तक चलता रहता हो ।

4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी "स्थायी सस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं समझा जाएगा :-

(1) उस उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के मात्र भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का इस्तेमाल करना ;

(2) मात्र भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ उक्त उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य वस्तुओं के किसी स्टॉक का रख-रखाव करना ;

(3) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उस उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के स्टॉक का रख-रखाव करना ;

(4) उस उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं का केवल क्रय करने के लिए अथवा सूचना एकत्र करने के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना ;

(5) उस उद्यम के लिए मात्र विज्ञापन देने, सूचना प्रदान करने, वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा इसी प्रकार के कार्यकलापों के प्रयोजनार्थ जो प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के हों, व्यापार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना ;

(6) उप-पैराग्राफ (1) से (5) तक में उल्लिखित कार्य-कलापों के संयोजन के लिए मात्र व्यापार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना, बशर्ते कि इस संयोजन के परिणामस्वरूप कारोबार के निश्चित स्थान का समस्त कार्यकलाप किसी प्रारम्भिक या सहायक स्वरूप का हो ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी स्वतंत्र हैसियत के अभिकर्ता, जिस पर पैराग्राफ लागू होता हो, से भिन्न कोई व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से कार्य कर रहा हो, तो उस उद्यम का प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में किन्ही ऐसी गतिविधियों के संबंध में स्थायी संस्थापन का होना तभी समझा जाएगा, यदि वह व्यक्ति उद्यम के लिए करता हो, यदि यह व्यक्ति ;

(1) उसे उस उद्यम की तरफ से उस राज्य में संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह आदतन ऐसे प्राधिकार का प्रयोग करता हो, जब तक कि उसके कार्यकलाप इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 4 में उल्लिखित कार्यकलापों तक सीमित न हों, यदि ऐसा कारोबार के किसी निश्चित स्थान से किया जाए, इससे उस पैराग्राफ के उपबंधों के अधीन कारोबार के इस निश्चित स्थान को एक स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा ; अथवा

(2) उसके पास ऐसा कोई प्राधिकार प्राप्त नहीं हो, किन्तु वह प्रथमोल्लिखित राज्य में ऐसे माल अथवा पण्य-वस्तुओं का एक स्टॉक आदतन रखता हो, जिसमें से वह नियमित रूप से उद्यम की ओर से माल और पण्य-वस्तुओं की डिलीवरी करता हो ; अथवा

6. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी किसी संविदाकारी राज्य के किसी बीमा उद्यम का पुनर्बीमा के मामले को छोड़कर, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन होना तभी माना जाएगा, यदि वह स्वतंत्र हैसियत वाले किसी एजेंट, के अलवा जिस पर पैराग्राफ 7 लागू होता हो, किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से उस अन्य राज्य के क्षेत्र मे बीमे की प्रीमियम एकत्र करता है अथवा वहां स्थित जोखिमों का बीमा करता है ।

7. किसी उद्यम का किसी संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन का होना नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों । तथापि, जब ऐसे किसी एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः उस उद्यम की ओर से किए जाते हों, तो उसे इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अंतर्गत स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं समझा जाएगा ।

8. यदि कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है तो मात्र इस तथ्य से ही उन दोनों में से किसी कम्पनी को स्वतः ही दूसरे का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा ।

अनुच्छेद - 6

अचल सम्पत्ति से आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति (कृषि अथवा वानिकी से प्राप्त आय सहित) से प्राप्त आय पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा जाएगा ।

2. "अचल सम्पत्ति" पद का अर्थ वही होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसका अर्थ है जिसमें संबंधित सम्पत्ति स्थित है । इस पद में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे - अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भण्डार, स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए अथवा कार्य करने के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार । जलयान, नौकाएं, वायुयान और अचल सम्पत्ति के रूप में नहीं समझे जाएंगे ।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा इसके किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से उद्भूत होने वाली आय पर भी लागू होंगे ।

4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध, किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 7

कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो । यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो उस स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुए हों ।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में ऐसे स्थायी संस्थापन के कारण हुए लाभ, वे लाभ माने जाएंगे जिनके होने की तब संभावना रहती है जब वह एक समान या उससे मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक समान या मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगे हुए किसी निश्चित और भिन्न उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता है जिसका वह एक स्थायी संस्थापन है ।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण करने में उन खर्चों की कटौती की अनुमति दी जाएगी, जो उस स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनार्थ खर्च किए जाते हैं, जिनमें इस प्रकार प्राप्त कार्यकारी एवं सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं, भले ही वे उस राज्य में किए गए हों जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र किए गए हों और ये उस राज्य के स्वदेशी कर कानूनों की सीमाओं के अध्यधीन एवं इस के अनुसरण में किए गए हों । तथापि, स्थायी संस्थापन द्वारा राशियों के संबंध में उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा इसके किन्हीं अन्य कार्यालयों को पेटेंटों अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में रायल्टियों, फीसों अथवा इसी तरह की अन्य अदायगियों के रूप में अथवा कमीशन के रूप में, निष्पादित विशिष्ट सेवाओं के लिए अथवा प्रबंधन के लिए अथवा बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर, स्थायी संस्थापन को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न) यदि कोई हों, और अदा की गई हों तो उसके संबंध में ऐसी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी । इसी प्रकार एक स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में उस रकम को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जो स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा इसके किसी अन्य कार्यालय को पेटेंटों अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में रायल्टियों, फीसों अथवा इसी तरह की अन्य अदायगियों के रूप में अथवा निष्पादित विशेष सेवाओं अथवा प्रबंधन के लिए कमीशन के रूप में अथवा किसी बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर उद्यम अथवा इसके किसी अन्य कार्यालय के कार्यालय प्रमुख को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न व्यय) राशियाँ प्रभारित की गई हों ।

4. जहां एक संविदाकारी राज्य में उद्यम के कुल लाभ को उसके विभिन्न भागों में प्रभाजन के आधार पर एक स्थायी संस्थापन को होने वाले लाभ का निर्धारण करने की प्रथा हो, वहां पैराग्राफ 2 की कोई भी बात उस संविदाकारी राज्य में प्रचलित प्रभाजन पद्धति से कर योग्य लाभ का निर्धारण करने से प्रतिबाधित नहीं करेगी, तथापि, प्रभाजन के लिए अपनाई गई विधि ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धांतों के अनुसरण में होगा ।

5. कोई लाभ, केवल इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन ने उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुएं खरीदी हैं ।

6 पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण हुए समझे जाने वाले लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठोस तथा पर्याप्त कारण नहीं हो ।

7. जहां लाभों में आय की ऐसी मदें शामिल होती हैं जिनका इस अभिसमय के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे ।

अनुच्छेद - 8

अन्तरराष्ट्रीय यातायात

1. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा प्राप्त लाभों पर केवल उस राज्य में ही कर लगाया जाएगा ।

2. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से प्राप्त लाभ का तात्पर्य उस लाभ से होगा, जो पैराग्राफ 1 में उल्लिखित उद्यम से प्राप्त किया गया हो तथा यात्रियों, माल, मेल अथवा पशुधन, समुद्री अथवा वायु परिवहन से प्राप्त किया गया हो ।

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में माल अथवा पण्य-वस्तुओं के परिवहन के लिए प्रयोग किए गए कन्टेनरों के प्रयोग अथवा उन्हें किराए पर देने से पैराग्राफ 1 में उल्लिखित किसी उद्यम, जो किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है, के द्वारा प्राप्त लाभों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा, जब तक कि कन्टेनरों का प्रयोग केवल उस दूसरे राज्य के भीतर नहीं किया जाता है ।

4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी निधियों पर ब्याज को ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त लाभ के रूप में समझा जाएगा यदि वे इस तरह का कारोबार चलाने के लिए प्रासंगिक हों और अनुच्छेद 11 के उपबंध ऐसे ब्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे ।

5. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय प्रचालन एजेंसी में भाग लेने से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 9

संबद्ध उद्यम

1. जहां

(1) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है ; अथवा

(2) वे ही व्यक्ति, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं ;

और दोनों में से किसी भी अवस्था में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं तो ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण इस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तद्नुसार कर लगाया जा सकेगा ।

2. जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तद्नुसार कर लगाता है जिस पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और उसमें सम्मिलित किए गए लाभ ऐसे लाभ हैं जो प्रथमोल्लिखित राज्य के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें उस तरह की होतीं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होती, तब वह दूसरा राज्य उन लाभों पर उसमें प्रभारित कर की राशि के बराबर समुचित समायोजन करेगा । इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में इस अभिसमय के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ परामर्श करेंगे ।

अनुच्छेद - 10

लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे ।

2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, उस राज्य के कानूनों के अनुसार भी कर लगाया जा सकेगा, लेकिन, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी है, तो इस प्रकार प्रभारित कर निम्न से अधिक नहीं होंगे ;

(1) लाभांशों की सकल राशि का 5 प्रतिशत, यदि हितभागी स्वामी एक कम्पनी है (किसी भागीदारी को छोड़ कर) जो प्रत्यक्ष रूप से लाभांश अदा कर रही कम्पनी की पूंजी की कम से कम 25 प्रतिशत का स्वामित्व रखती है ;

(2) अन्य सभी मामलों में लाभांशों की सकल राशि का 15 प्रतिशत ।

संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इन सीमाओं को लागू करने के तौर-तरीके तय करेंगे ।

यह पैराग्राफ, उन लाभों के संबंध में कम्पनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा जिनमें से लाभांश अदा किए जाते हैं ।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "लाभांश" पद का अभिप्राय शेयरों, अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय, जो ऋण के दावे न हों, लाभों में हिस्सेदारी से प्राप्त आय तथा अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय है जिस पर वही कराधान अभिक्रिया लागू होती है जो उस राज्य के कानूनों के द्वारा शेयरों से प्राप्त आय पर लागू होती है, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है वहां वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 15, जैसी भी स्थिति हो, के उपबंध लागू होंगे ।

5. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, ऐसी स्थिति में वह दूसरा राज्य ऐसे मामलों को छोड़कर उक्त कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर वहां तक किसी प्रकार का कर नहीं लगाएगा, जहां तक कि ऐसे लाभांश दूसरे राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाते हैं, अथवा जहां तक जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती हो, वह उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन या उस दूसरे राज्य में किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध है और न ही उक्त कम्पनी के अवितरित लाभों पर अवितरित लाभ संबंधी कर लगाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने ले लाभ अथवा आय के रूप में हों ।

अनुच्छेद - 11
ब्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. तथापि, ऐसे ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में जिसमें यह उद्भूत हुआ है उस राज्य के कानून के अनुसार भी कर लगाया जा सकेगा, किन्तु यदि ब्याज का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी है तो इस प्रकार प्रभारित कर, ब्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस सीमा को लागू करने के तौर-तरीके तय करेंगे ।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले ब्याज को उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी, बशर्ते कि यह निम्न द्वारा प्राप्त किया जाता हो और हितभागी स्वामित्व के रूप में रखा जाता हो :

(1) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, किसी राजनयिक उप प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्रधिकरण ; अथवा

(2) दूसरे संविदाकारी राज्य का रिजर्व बैंक, सैन्ट्रल बैंक अथवा नेशनल बैंक ।

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "ब्याज" शब्द का आशय प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय से है चाहे वह बंधक द्वारा प्रतिभूत हो अथवा नहीं और चाहे उसे ऋणदाता के लाभों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा ऋणपत्रों से प्राप्त आय है जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंधपत्रों अथवा ऋणपत्रों के संबंध में प्रदान किए जाने वाले प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हैं । विलम्बित अदायगी के लिए अर्थदंड संबंधी प्रभारों को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए ब्याज नहीं समझा जाएगा ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ब्याज का हितभागी स्वामी एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें ब्याज उद्भूत हुआ हो, स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित एक निश्चित स्थान से वहां स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अदा किया जाता है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । इस प्रकार के मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे ।

6. किसी संविदाकारी राज्य में ब्याज तब उत्पन्न हुआ माना जाएगा जब ब्याज अदा करने वाला उस राज्य का निवासी हो । तथापि, जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह एक संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था, जिस पर ब्याज की अदायगी की गई थी और इस प्रकार का ब्याज उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है तब वह ब्याज उस राज्य में उत्पन्न हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

7. जहां, ब्याज अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज की रकम, उस ऋणदावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए ब्याज की रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके संबंध में इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध अन्तिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे । ऐसे मामले में, अदायगी के आधिक्य भाग पर, इस अभिसमय के अन्य उपबंधों का सम्यक अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद - 12
रायल्टियां

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टियों पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई हों और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा लेकिन यदि रायल्टियों का हितभागी स्वामी इस संवीदाकारी राज्य का एक निवासी है तो इस प्रकार लगाया गया कर रायल्टियों की सकल रकम के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायल्टियां" शब्द का अभिप्राय है । किसी साहित्यिक, कलात्मक, अथवा वैज्ञानिक कृति जिसमें सिनेमाटोग्राफ फिल्मों के कापी राईट का प्रयोग करने का अधिकार या प्रयोग करने हेतु विचार किए जाने के लिए या रेडियो या टेलीविजन प्रसारण हेतु फिल्में अथवा टेपों, कोई पेटेंट व्यापार, चिन्ह डिजाईन या मॉडल योजना, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया अथवा कोई औद्योगिक वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण अथवा उद्योग, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव (जानकारी) से सम्बन्धित सूचना को प्रयुक्त करने या प्रयुक्त करने के अधिकार हेतु प्राप्त की गयी किसी भी प्रकार की अदायगियां ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियों का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियाँ उद्भूत होती हैं, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में रायल्टियाँ अदा की जाती है, वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से संबद्ध हैं ऐसे मामले में यथा-स्थिति अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध लागू होंगे ।

5. एक संविदाकारी राज्य में रायल्टियाँ तब उद्भूत हुई मानी जाएंगी, जब अदाकर्ता उस राज्य का निवासी हो । तथापि, जहां रायल्टियाँ अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, उस संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिनके संबंध में रायल्टियों अदा करने की जिम्मेदारी निभाई गई हो और ऐसी रायल्टियों उस स्थाई संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हो, तब ऐसी रायल्टियाँ उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएंगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

6. जहां अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण किसी प्रयोग, अधिकार अथवा सूचना के संबंध में प्रदत्त रायल्टियों की रकम, उस रकम से बढ़ जाती है जिस पर इस प्रकार के संबंधों की अनुपस्थिति मे अदाकर्ता और हितभागी स्वामी में सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामले में, अदायगियों के उस आधिक्य भाग पर इस अभिसमय के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद - 13
तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई तकनीकी फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2 तथापि, इस प्रकार की फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई हों और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा लेकिन यदि फीस का हितभागी स्वामी अन्य संवीदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार लगाया गया कर तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल रकम के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । दोनों संविदाकरी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी आपसी सहमति से इस सीमा को लागू करने के तरीके का निपटान करेंगे ।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" का अभिप्राय (तकनीकी अथवा अन्य कार्मिकों द्वारा की गई सेवाओं की व्यवस्था सहित) कोई प्रबंध-कार्य, तकनीकी अथवा परामर्शी सेवाएं करने के प्रतिफल में की गई किसी भी प्रकार की अदायगियां हैं, परन्तु इस में इस अभिसमय के अनुच्छेद 15 तथा 16 में उल्लिखित सेवाओं के लिए की गई अदायगियां शामिल नहीं हैं ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती हैं, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से संबद्ध हैं । ऐसे मामले में यथा-स्थिति अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध लागू होंगे ।

5. एक संविदाकारी राज्य में तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तब उद्भूत हुई मानी जाएगी, जब अदाकर्ता उस राज्य का निवासी हो । तथापि, जहां तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, उस संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिनके संबंध में तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की जिम्मेदारी निभाई गई हो और उस स्थाई संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हो, तब ऐसी तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

6. जहां, अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की रकम, उस रकम से बढ़ जाती है जिस पर इस प्रकार के संबंधों की अनुपस्थिति मे अदाकर्ता और हितभागी स्वामी में सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामले में, अदायगियों के उस आधिक्य भाग पर इस अभिसमय के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद - 14

पूंजीगत अभिलाभ

1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अंतरण से एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभ पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारोबार संपत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभ पर, जो संपत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा ।

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयानों, वायुयानों के परिचालन से संबंधित, चल सम्पत्ति के अंतरण से किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

4. किसी कम्पनी के, जिसकी सम्पत्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति शामिल है, के शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभ पर उस राज्य में कर लग सकेगा ।

5. किसी कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, के पैराग्राफ 4 में उल्लिखित शेयरों से भिन्न शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

6. पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 और 5 में उल्लिखित के अतिरिक्त किसी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर सकेगा, अंतरणकर्ता जिसका निवासी है ।

अनुच्छेद - 15

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी, व्यक्ति द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र स्वरूप वाले इसी प्रकार के अन्य कार्यकलापों के निष्पादन से प्राप्त आय, निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, जब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, केवल उसी संविदाकारी राज्य में कराधेय होगी :

(1) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ, दूसरे संविदाकारी राज्य में नियमित रूप से निश्चित स्थान उपलब्ध है तो उस मामले में उस दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल उतनी आय पर ही कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है : अथवा

(2) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके ठहरने की अवधि या अवधियां किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर 183 दिनों अथवा इससे अधिक दिन के लिए हों, या संबंधित राजकोषीय वर्ष में समाप्त हो, तो उस मामले में, आय के केवल उतने ही भाग पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जो उस दूसरे राज्य में उसके द्वारा निष्पादित कार्यकलापों से प्राप्त होती हो ।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद में विशेषतया स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक या शिक्षण संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तु - विदों, शल्य - चिकित्सकों, दन्त चिकित्सकों और लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप सम्मिलित हैं ।

अनुच्छेद - 16

परावलम्बित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 17, 19, 20, 21 और 22 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा जब तक कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया है । यदि ऐसा नियोजन किया गया है तो जो पारिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है, उस पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :

(1) प्राप्तकर्ता संबंधित वित्तीय वर्ष में आरम्भ होने वाली अथवा समाप्त होने वाली किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर अधिक से अधिक 183 दिन की अवधि या अवधियों के लिए दूसरे राज्य में उपस्थित रहता है ; और

(2) पारिश्रमिक ऐसे किसी नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया जाता है जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है ; और

(3) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नही किया जाता है, जो नियोजक दूसरे राज्य में रखता हो ।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में संचालित जलयान अथवा वायुयान पर किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर उस राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

अनुच्छेद - 17

निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस तथा इसी तरह की अन्य अदायगियों पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी कम्पनी, जो अन्य संविदाकारी राज्य की निवासी है, उन पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

अनुच्छेद - 18

मनोरंजनकर्त्ता और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 15 और 16 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्त्ता जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार या किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के उसके वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्त्ता किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत में किए गए निजी कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्त्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो, अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस आय पर अनुच्छेद 7, 15 और 16 के उपबंधों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्त्ता अथवा खिलाड़ी के कार्यकलाप किए जाते हैं ।

3. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा एक मनोरंजनकर्ता अथवा एक खिलाड़ी के रूप में किए गए व्यक्तिगत कार्यकलापों से प्राप्त आय पर पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध लागू होते हुए भी यदि ऐसे कार्यकलाप दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा अनुमोदित सांस्कृतिक अथवा खेल विनिमय कार्यक्रम की कार्य सीमा के अंदर दूसरे संविदाकारी राज्य में निर्धारित किए जाते हैं तो ऐसे मामले में उक्त आय केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कराधेय होगी ।

अनुच्छेद - 19

पेंशन

1. अनुच्छेद 20 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन एक संविदाकारी राज्य के निवासी को पिछले नियोजन के प्रतिफल के रूप में अदा की गई पेंशन और अन्य ऐसे पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा ।

अनुच्छेद - 20

सरकारी सेवा

1. (1) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उस राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उपप्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के संबंध में की गई सेवाओं के लिए किसी व्यष्टि को अदा की गई पेंशन से भिन्न वेतन, मजदूरी और अन्य इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा ।

(2) तथापि, ऐसे वेतन, मजदूरी और अन्य इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लगेगा, यदि सेवाएं उस दूसरे संविदाकारी राज्य में की जाती हो और उक्त व्यष्टि उस राज्य का निवासी हो, जो :

- उस राज्य का एक राष्ट्रिक हो ; अथवा
- मात्र सेवाएं करने के प्रयोजन से उस राज्य का निवासी नहीं बना हो ।

2. (1) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उपप्रभाग अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में किसी व्यष्टि को उस संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उसके द्वारा सृजित निधियो में से अदा की गई पेंशन पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा।

(2) तथापि, ऐसी पेंशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर तभी कर लगेगा, यदि उक्त व्यष्टि उस संविदाकारी राज्य का एक निवासी तथा राष्ट्रिक हो ।

3. अनुच्छेद 16, 17, 18 और 19 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थनीय प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे किसी कारोबार के सिलसिले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 21

विद्यार्थी

1. किसी विद्यार्थी अथवा कारोबार प्रशिक्षु को जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त पहले किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ प्रथमोल्लिखित राज्य में उपस्थित है, उस दूसरे राज्य से बाहर रह रहे व्यक्तियों द्वारा उसके भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ की गई अदायगियों पर कर से छूट प्राप्त होगी ।

2. नियोजन से प्राप्त अनुदान, छात्रवृत्तियां और पारिश्रमिक, जिसका पैराग्राफ 1 में उल्लेख नहीं किया गया है, के संबंध में इसके अतिरिक्त पैराग्राफ 1 में संदर्भित एक विद्यार्थी अथवा कारोबार प्रशिक्षु ऐसे शिक्षण अथवा प्रशिक्षण के दौरान करों के संबंध में उसी छूट, राहत अथवा कटौतियों के लिए हकदार होगा जो उस संविदाकारी राज्य के निवासियों को उपलब्ध है जिसमें वह दौरे पर है ।

3. इस अनुच्छेद के लाभ केवल ऐसी अवधि के लिए लागू होंगे जो कि शुरू किए गए शिक्षण अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा साधारणतया अपेक्षित हो । तथापि, किसी भी स्थिति में, किसी भी व्यष्टि को इस अनुच्छेद के लाभ उस दूसरे राज्य में उसके प्रथमतः पहुंचने की तारीख से लगातार पांच वर्षों से अधिक के लिए प्राप्त नहीं होंगे ।

अनुच्छेद - 22

प्रोफेसर, अध्यापक और शोधकर्ता

1. कोई प्रोफेसर, अध्यापक जो उस राज्य के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अथवा दूसरी ऐसी संस्था जो दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, में अध्यापन करने अथवा शोध कार्य करने के लिए राज्य का दौरा करता है और जो उस दौरे से तत्काल पूर्व उस दूसरे संविदाकारी राज्यों का निवासी है अथवा था, उसे ऐसे प्रयोजनार्थ उस प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के उसके पहले दौरे की तारीख से कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए ऐसे अध्यापन अथवा शोध कार्य के लिए प्राप्त ऐसे किसी भी पारिश्रमिक पर यह उपलब्ध कराने पर कि ऐसे पारिश्रमिक उस राज्य से बाहर रह रहे व्यक्तियों द्वारा प्रदान किए गए है, दूसरे संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी ।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ - 1 के उपबंध, शोधकार्य से प्राप्त पारिश्रमिक पर लागू नहीं होगें । यदि ऐसा शोध कार्य मुख्यता कुछ व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया गया हो ।

अनुच्छेद - 23

अन्य आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदें, जहां-कहीं वे उद्भूत होती हों, जिन पर इस अभिसमय के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, केवल उस राज्य में कराधेय होंगी ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा ऐसा अधिकार अथवा सम्पत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे ।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, यदि किसी संविदाकारी राज्य का कोई निवासी दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्रोतों जैसे लाटरियों, वर्ग पहेलियों, घुड़दौड़ सहित दूसरी दौड़ों, ताश और किसी भी प्रकार के अन्य खेलों अथवा जुआ अथवा किसी भी स्वरूप की शर्तों के संबंध में आय प्राप्त करता है, तो ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा ।

अनुच्छेद - 24

पूंजी

1. अनुच्छेद में उल्लिखित और एक संविदाकारी राज्य के निवासी के स्वामित्वाधीन तथा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति द्वारा निरूपित पूंजी पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. ऐसे चल सम्पत्ति द्वारा, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारोबार संपत्ति का एक हिस्सा है अथवा एक संविदाकारी राज्य के निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में उपलब्ध किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल संपत्ति द्वारा दूसरे राज्य में स्वतंत्र व्यैक्तिक सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ निरूपित पूंजी पर कर लग सकेगा ।

3. अंतरराष्ट्रीय यातायात में प्रचालित जलयानों और वायुयानों और ऐसे जलयानों और वायुयानों के प्रचालन से संबंधित चल संपत्ति द्वारा निरूपति पूंजी पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा, जिसका कि ऐसी सम्पत्ति धारित करने वाला उद्यम निवासी है ।

4. किसी संविदाकारी राज्य के एक निवासी की पूंजी के सभी अन्य तत्वों पर केवल उसी राज्य में ही कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद - 25

दोहरे कराधान का अपाकरण

1. जहां एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को आय प्राप्त होती है अथवा उसके पास कोई पूंजी होती है, जिस पर इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है, प्रथमोल्लिखित राज्य निम्नलिखित की कटौती की अनुमति देगा ;

- उस निवासी की आय पर कर से कटौती, जो उस दूसरे राज्य में अदा किए गए आयकर की राशि के बराबर होगी ;
- उस निवासी की पूंजी पर कर से कटौती, जो उस दूसरे राज्य में अदा किए गए पूंजीगत कर के बराबर होगी ।

तथापि, दोनों में से किसी भी मामले में ऐसी कटौती आय कर अथवा पूंजी कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी जिसकी संगणना कटौती से पूर्व की गई हो, जो इसके कारण हो, जैसा भी मामला हो और यह उस आय अथवा पूंजी के संबंध में होगा, जिस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

2. जहां, इस अभिसमय के उपबंध के अनुसार एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अर्जित की गई आय अथवा पूंजी को उस राज्य में कर से छूट प्राप्त हो, फिर भी ऐसा राज्य उस निवासी की बकाया आय तथा पूंजी की संगणना करते समय आय तथा पूंजी पर दी गई छूट को भी ध्यान में रखेगा ।

3. एक संविदाकारी राज्य में क्रेडिट की अनुमति देने के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में अदा किए गए कर में उस कर को शामिल समझा माना जाएगा जो अन्यथा उस दूसरे राज्य में देय है परन्तु उस राज्य द्वारा अपने कर प्रोत्साहन हेतु कानूनी उपबंधों के कारण इसमें कमी कर दी गई है अथवा हटा दिया गया है ।

4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, "प्रदत्त कर" पद में वह कोई राशि शामिल नहीं की जाएगी जो किसी गलती अथवा चूक के कारण इन करों के संबंध में, जिन पर यह अभिसमय लागू होता है, पर देय है ।

अनुच्छेद - 26

सम-व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उन कराधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक बोझिल हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर उन्हीं परिस्थितियों में लागू होती हो अथवा लागू की जानी हो । अनुच्छेद 1 के उपबंधों के होते हुए भी यह उपबंध उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्य के निवासी नहीं हैं ।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे राज्य में ऐसा कोई कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर समरूप कार्यकलापों को करने के लिए लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो । इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे दूसरे संविदाकारी राज्य की किसी कम्पनी के प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के लाभों पर कर की ऐसी दर पर प्रभार लगाने से किसी संविदाकारी राज्य को रोकना है जो उस दर से अधिक हो जो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के समरूप कम्पनी के लाभों पर लगाया जाता है और न ही इसका यह अर्थ लगाया जाएगा कि यह इस अभिसमय के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के प्रतिकूल हो । इसके अलावा, इसके अलावा, इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के लिए यह बाध्यकर है कि वह दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को प्रदत्त कराधान प्रयोजनों के लिए उनकी सिविल हैसियत अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए किसी प्रकार की ऐसी व्यक्तिगत छूट, राहत अथवा कटौतियों की मंजूरी दे, जो अपने निवासियों को देता है ।

3. ऐसे मामले को छोड़कर जहां अनुच्छेद 9 का पैराग्राफ 1, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 7 अथवा अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 6 के उपबंध लागू होते हैं, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया ब्याज, रायल्टी तथा अन्य भुगतान ऐसे उद्यम के कराधेय लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन्हीं शर्तों के अनुसार कटौती योग्य होंगे मानो उनका भुगतान प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया हो । इसी प्रकार एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के ऋण - दावे दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को ऐसे उद्यम के कराधेय पूंजी के निर्धारण के प्रयोजनार्थ उन्हीं शर्तों के तहत कटौती योग्य होंगी, यदि वे प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को अनुबंधित किए गए हों ।

4. संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर जिसकी पूंजी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण या आंशिक रूप से दूसरे संविदाकारी राज्य के एक या अधिक निवासियों के स्वामित्व में हो या उनके द्वारा नियंत्रित की जाती हो, प्रथमोल्लिखित राज्य में कोई ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा या उससे तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक बोझिल है जो प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य इसी प्रकार के उद्यमों पर लागू की जाती है या लागू की जा सकती है ।

5. इस अनुच्छेद के उपबंध, अनुच्छेद 2 में उल्लिखित करों पर लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 27

पारस्परिक करार विधि

1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्रवाईयों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो इस अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप नहीं है तो वह उन राज्यों के स्वदेशी कानूनों द्वारा उपबंधित उपायों पर ध्यान किए बिना अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक निवासी है अथवा यदि उसका मामला अनुच्छेद 26 के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत आता है तो वह अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह राष्ट्रिक है । यह मामला उस कार्रवाई की प्रथम अधिसूचना की तारीख से तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके परिणामतः उस पर ऐसा कराधान लगाया जाता है जो इस अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप नहीं है ।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से जो इस अभिसमय के अनुरूप नहीं हैं, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ पारस्परिक सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा । इस प्रकार किए गए किसी भी समझौते को कार्यान्वित किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों के स्वदेशी कानूनों में कोई भी समय सीमा क्यों न हो ।

3. यदि इस अभिसमय की व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में कठिनाइयां अथवा शंकाएं उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे । वे उन मामलों में भी दोहरे कराधान को दूर करने के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं जिनकी इस अभिसमय में व्यवस्था नहीं की गई हो ।

4. पिछले पैराग्राफों के अभिप्राय से कोई समझौता करने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं । जब समझौता करने की दृष्टि से विचारों का मौखिक आदान-प्रदान करना उपयुक्त प्रतीत हो तो ऐसा आदान-प्रदान किया जा सकता है जिसमें उक्त संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल हों ।

अनुच्छेद - 28

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के समक्ष प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान -प्रदान करेंगे जो कि इस अभिसमय के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित आंतरिक कानूनों के प्रयोजनार्थ कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हैं जहां तक कि उनके अध्यधीन कराधान व्यवस्था अभिसमय के प्रतिकूल नहीं हो । सूचना का आदान-प्रदान करना अनुच्छेद 1 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है । किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना उक्त राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिनमें कोई न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो उन करों का निर्धारण करने, उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अपीलों का निर्धारण करने से संबद्ध हो जिन पर यह करार लागू होता हो । ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजन के लिए ही करेंगे । वे सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे ।

2. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

(1) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना ;

(2) ऐसी सूचना (जिसमें दस्तावेज अथवा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां शामिल हैं) की सप्लाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है ;

(3) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापारिक, कारोबार संबंधी, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, गुप्त अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो (आर्डर पब्लिक) ।

अनुच्छेद - 29

राजनयिक मिशन के सदस्य एवं कौंसूली पद

इस अभिसमय की किसी भी बात से अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत राजनयिक एजेंटों अथवा कौंसूली अधिकारियों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुच्छेद - 30

प्रवृत्त होना

1. संविदाकारी राज्य इस अभिसमय को लागू करने के लिए अपने-अपने कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के संबंध में राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप में एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे ।

2. यह अभिसमय इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद की तारीख को प्रवृत्त होगा और इसके उपबंधों का निम्न प्रभाव होगा :

1) सर्बिया और मोन्टेनीग्रो में : जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय लागू होता है उसके बाद वाले अगले वर्ष के जनवरी महीने के प्रथम दिन का अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उद्भूत आय एवं धारित पूंजी पर करों के संबंध में ;

2) भारत में : जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय लागू होता है उसके बाद वाले अगले वर्ष के अप्रैल महीने के पहले दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उद्भूत आय एवं धारित पूंजी पर करों के संबंध में ।

अनुच्छेद - 31

समापन

यह अभिसमय तब तक लागू रहेगा जब तक कि किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा उसे समाप्त नहीं कर दिया जाता । कोई भी संविदाकारी राज्य अभिसमय के लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति के बाद किसी कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति के कम से कम छह महीने पहले राजनयिक माध्यमों से समापन का नोटिस देकर अभिसमय को समाप्त कर सकता है । ऐसी स्थिति में अभिसमय निम्न के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगा :

1) सर्बिया और मोन्टेनीग्रो में : जिस कैलेण्डर वर्ष में समापन का नोटिस दिया जाता है उसके अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले प्रत्येक वित्त वर्ष में उद्भूत आय एवं धारित पूंजी पर करों के संबंध में ;

2) भारत में : जिस कैलेण्डर वर्ष में समापन का नोटिस दिया जाता है उसके अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले प्रत्येक वित्त वर्ष में उद्भूत आय एवं धारित पूंजी पर करों के संबंध में ।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस अंतिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं ।

नई दिल्ली में वर्ष दो हजार छः के फरवरी माह के आठवें दिन सर्बियन, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में निष्पन्न किया गया तथा इसके तीनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । अर्थ निरूपण में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा ।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

ह./

(श्री पी. चिदंबरम)

वित्त मंत्री

सर्बिया और मोन्टेनीग्रो मंत्रिमंडलीय परिषद् की ओर से

ह./

प्रो. डॉ. प्रेड्रैग ईवानोविक

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध मंत्री

प्रोतोकोल

आय एवं पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार के लिए सर्बिया और मोन्टेनीग्रो की मंत्रिमंडलीय परिषद् तथा भारत गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय पर हस्ताक्षर करते समय अधोहस्ताक्षरी इस बात पर सहमत हुए हैं कि निम्नलिखित उपबंध अभिसमय के अभिन्न अंग होंगे ।

अनुच्छेद 6, और 14 के संदर्भ में,

अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 14 के पैराग्राफ 1 के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय और अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर प्राप्त आय और अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर प्राप्त पूंजीगत अभिलाभ पर क्रमशः दोनों संविदाकारी राज्यों में कर लगाया जा सकता है ।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं ।

नई दिल्ली में वर्ष दो हजार छ: के फरवरी माह के आठवें दिन सर्बियन, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में निष्पन्न किया गया तथा इसके तीनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । अर्थ निरूपण में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा ।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से	सर्बिया और मोन्टेनीग्रो मंत्रिमंडलीय परिषद् की ओर से
ह./	ह./
(श्री पी. चिदंबरम)	प्रो. डॉ. प्रैड्रैग ईवानोविक
वित्त मंत्री	अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध मंत्री

[अधिसूचना सं. 05/2009/फा. सं. 503/1/97-वि.क.प्र.-I]

अनिता कपूर, संयुक्त सचिव